

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
अधिसूचना

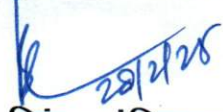
पटना, दिनांक- 28.02.25

एस0ओ0सं0-IV/M1-1-4/2025- 943 / रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल 45वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल, वीरपुर, सुपौल में केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 05 एकड़ भूमि 99 वर्षों के लिए लीज पर एवं केन्द्रीय विद्यालय, ए0एफ0एस0, पूर्णियाँ के भवन निर्माण हेतु 12.91 एकड़ भूमि को 99 वर्षों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को लीज पर अंतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य निबंधन शुल्क का शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं।

2. भविष्य में नये केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव शिक्षा विभाग की सहमति एवं समाहर्ता की अनुशंसा के साथ प्राप्त होने पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर निबंधन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट की सहमति विभाग (मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग) द्वारा प्रदान की जायगी।

3. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

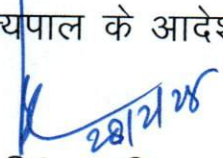
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद सिंह गुंजियाल)
सरकार के सचिव।

एस.ओ.सं0-IV/M1-1-4/2025- 943 /, पटना, दिनांक- 28.02.25

प्रतिलिपि:- उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद सिंह गुंजियाल)
सरकार के सचिव।

Government of Bihar
Department of Prohibition, Excise & Registration
(Registration)
Notification

Patna, Dated: 28.02.25

S.O.No.-IV/M1-1-4/2025-943. In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to exempt fully of registration fee chargeable on registration of document related to transfer of 05 acres of land for construction of Kendriya Vidyalaya building at 45th Battalion Sashastra Seema Bal, Veerpur, Supaul on lease for 99 years and 12.91 acres of land for 99 years for construction of Kendriya Vidyalaya, AFS, Purnia.

2. Department of Prohibition, Excise & Registration has been empowered by the government to provide 100% exemption on registration fee for construction of new kendriya vidyalay on receipt of proposals with prior consent of the Education Department and on the recommendation of the Collector, after obtaining the consent of the Finance Department.

3. It shall come into force with immediate effect.

By the Order of the Governor of Bihar,

(Vinod Singh Gunjiyal)
Secretary to the Government.

ज्ञापांक— IV/M1-1-4/2025-943 /, पटना, दिनांक— 28.02.25
प्रतिलिपि:— वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800007 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(विनोद सिंह गुंजियाल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— IV/M1-1-4/2025— 943 /, पटना, दिनांक— 28.02.25

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद सिंह गुंजियाल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— IV/M1-1-4/2025— 943 /, पटना, दिनांक— 28.02.25

प्रतिलिपि:— मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल)/जिला अवर निबंधक (सभी)/कोषागार पदाधिकारी (सभी) एवं अवर निबंधक (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद सिंह गुंजियाल)

सरकार के सचिव।